राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 01/डीडीएमए/कोविड–19/ **दिनांक 30.03.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा, आदेश सं. 121, दिनांक 25.03.2020 और अनुलग्नक के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभागों के लिए इस निदेश के साथ दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं कि इन्हें कड़ाई से क्रियान्वित किया जाएगा।

और जबकि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपर्युक्त आदेश सं. 121 के साथ परिशिष्ट के रूप में दिशानिर्देशों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभागों के लिए इस निदेश के साथ एक और आदेश सं. 122, दिनांक 26.03.2020 को जारी किया गया था कि इन्हें कड़ाई से क्रियान्वित किया जाएगा।

और जबकि लॉकडाउन उपायों को कड़ाई से लागू करने तथा गरीबों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने सहित लॉकडाउन उपायों के कारण जाने वाले प्रवासी मजदूरों को रोके जाने के लिए एक और आदेश सं. 122–ए, दिनांक 29.03.2020 को जारी किया गया था।

अतः, अब, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं. यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा ।

क. खंड 2 के अपवादस्वरूप उप–खंड (जी) एवं (एच) को जोड़े जाना

जी. कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों सहित एमएसपी आपरेशन।

एच. कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा संचालित 'मंडियां' अथवा जैसा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता हो।

ख. खंड 4 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (ए) में उर्वरकों की दुकानें शामिल हैं।

ग. खंड 4 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (आई) एवं (एम) को जोड़े जाना।

एल. किसानों और खेतों में काम करने वाले कामगारों द्वारा खेती के कार्य।

एम. फार्म मशीनरी से संबंधित 'कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)'।

घ. खंड 5 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (ई) को जोड़े जाना ।

ई. उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयां।

Scanned with CamScanner

ङ खंड 6 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (ई) को जोड़े जाना

ई. कटाई और बोवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त कटाई और अन्य कृषि/उद्यान संबंधी औजारों की अंतः और अंतर्राज्यीय आवाजाही।

उपरोक्त आदेशों में निम्नलिखित को भी स्पष्ट किया जाता है :

क. प्रथम परिशिष्ट के जारी होने के साथ, अनिवार्य और गैर–अनिवार्य वस्तुओं का भेद किए बिना समस्त सामग्री का परिवहन किए जाने की अनुमति दी गई है।

ख. खंड 2(जी) के तहत छूट प्राप्त 'पेंशन' में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं शामिल हैं।

ग. भारतीय रैड क्रॉस सोसाइटी की सेवाओं को भी खंड 3 में शामिल किया जाता है।

घ. ग्रोसरी में स्वस्थकर उत्पाद जैसे हैंड वाश, साबुन, डिसइंफेक्टेंट, बॉडी वॉश, शैम्पू, सरफेस क्लीनर, डिटरजेंट और टिशु पेपर, टूथपेस्ट/ओरल केयर, सेनिटरी पैड और डाइपर, बैटरी सैल, चार्जर इत्यादि शामिल हैं।

ङ. दूध के संग्रहण और वितरण की पूरी सप्लाई चेन सहित इसकी पैकिंग सामग्री की अनुमति है।

च. प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार–पत्रों की डिलीवरी सप्लाई चेन की भी अनुमति है।

उपर्युक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने बेघर लोगों सहित प्रवासी मजदूरों, लॉकडाउन उपायों के तहत मजदूरों को रोके जाने और उन्हें भोजन इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए राहत कैंपों तथा अन्य स्थानों पर उनके प्रवास के लिए एसडीआरएफ के उपयोग की अनुमति भी दी गई है, ताकि देश में कोविड–19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

साथ ही, प्रवासियों की आवाजाही को रोकने के लिए और उन्हें क्वारंटीन सुविधाएं, आवास, भोजन इत्यादि देने तथा मजदूरी का भुगतान दिलाना सुनिश्चित करने और मकान–मालिकों द्वारा मकान खाली न कराए जाने के लिए अतिरिक्त उपायों के कड़े क्रियान्वयन के लिए एक और आदेश सं. 122–ए दिनांक 29.03.2020 को जारी किया गया था।

(विजय देव)
मुख्य सचिव,
दिल्ली

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
4. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
5. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम।

Scanned with CamScanner

7. आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम।
9. एमडी, दिल्ली परिवहन निगम।
10. एमडी, डीआईएमटीएस।
11. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
12. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि

1. राज्य कार्यकारी समिति के समस्त सदस्य।

Scanned with CamScanner